

कार्मिक विभाग, कार्मिक प्रशासन प्रभाग, के.का. DEPT. OF PERSONNEL, PERSONNEL ADMINISTRATION DIVISION C.0. 239 विधान भवन मार्ग, यूनियन बैंक भवन , मुंबई - 400 021 239, Vidhan Bhavan Marg, Union Bank Bhavan, Mumbai - 400 021

STAFF CIRCULAR NO.5601

Date :- 30.07.2009

To: All Branches/Offices

**Sub: Retired Staff -Time period for joining UBIREMAS** 

It has been decided in staff welfare committee meeting that with effect from 1st August 2009 the time period for exercising option of becoming member under the scheme is to be modified as follows: -

- Staff members retiring on superannuation on or after **1.8.2009** will have to exercise the option within **six months of retirement date** failing which they will not be included in the scheme.
- Pre-retirees i.e. those who have retired on superannuation on or before 31st July,2009 will have to take membership strictly before 31st October ,2009. No application will be considered thereafter. Branches/ Offices are required to forward the applications received at their end immediately to us. No back dated application will be accepted in any case. Branches /offices are also advised to keep blank application forms ready for the benefit of the retirees. (available in staff welfare booklet in Union Parivar as annexure VII)
- > Staff members who have voluntarily **retired under OSR 1979 / UBI VRS 2001** will have to apply within six months **after completing the age of 60**, failing which they will not be included in the scheme. No further extension will be given in any case.
- > Staff members resigning from the bank services cannot become members of the scheme.
- For obtaining membership under the scheme payment is to be made by Demand Draft drawn on service branch, Mumbai / Pay Order in favour of "Union Bank of India Retired Employees' Medical Assistance Scheme".

  Cheque will not be accepted. In many cases cheques are returned due to insufficient funds.

- ➤ In case if spouse is **working or getting pension** specific mention should be made in the space provided in the application .
- Branches/Offices are required to **maintain proper records** under this scheme. Further they are also requested to display this circular on the notice board for information and to convey the contents of the circular to the retired staff members' associations/offices or through any other suitable mode to the retirees.

Co-operation of all concerned is solicited in our sincere endeavour to ensure a healthy post retired life of our colleagues.

General Manager(P)



कार्मिक विभाग, कार्मिक प्रशासन प्रभाग, के.का. DEPT. OF PERSONNEL, PERSONNEL ADMINISTRATION DIVISION C.O.
239 विधान भवन मार्ग, यूनियन बैंक भवन ,मुंबई - 400 021
239, Vidhan Bhavan Marg, Union Bank Bhavan, Mumbai - 400 021

स्टाफ परिपत्र क्र.5601

दिनांक :- 30.07.2009

प्रति : सभी शाखाएं कार्यालय

विषय : सेवानिवृत्त स्टाफ - यूबीआइरेमस योजना में सदस्यता प्राप्त करने हेतु समय-अविध

स्टाफ कल्याण समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 1 अगस्त,2009 से योजनांतर्गत सदस्यता प्राप्त करने हेतु दिये जानेवाले विकल्प की समयाविध में निम्नानुसार संशोधन किया जाए :-

- दिनांक 1.08.2009 को अथवा उसके बाद अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त होनेवाले स्टाफ सदस्यों को सेवानिवृत्ति की तारीख से छः माह के भीतर इस विकल्प को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उन्हें योजना में शामिल नहीं किया जाएगा.
- पूर्व में सेवानिवृत्त स्टाफ सदस्य अर्थात् जो स्टाफ सदस्य अधिवर्षिता पर दिनांक 31 जुलाई,2009 को अथवा उससे पूर्व सेवानिवृत्त हुए हैं उन्हें अनिवार्य रूप से दिनांक 31 अक्तूबर,2009 से पहले सदस्यता प्राप्त करनी होगी. शाखाओं /कार्यालयों को उनके स्तर पर प्राप्त आवेदनों को तत्काल हमारे पास भेजना होगा . किसी भी स्थिति में पुरानी तारीख के आवेदन स्वीकार नहीं किये जाएंगे. शाखाओं/कार्यालयों को यह भी सूचित किया जाता है कि सेवानिवृत्त स्टाफ सदस्यों के उपयोग हेतु आवेदन फार्म की प्रतियां सुलभ रखनी चाहिए. ( स्टाफ कल्याण पुस्तिका में परिशिष्ट VII के रूप में उपलब्ध है)
- जो स्टाफ सदस्य अधिकारी सेवा विनियम ,1979 / यूनियन बैंक ऑफ इंडिया स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना 2001 के अधीन सेवानिवृत्त हुए हैं उन्हें 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद छः माह के भीतर आवेदन करना होगा . अन्यथा उन्हें योजना में शामिल नहीं किया जाएगा . किसी भी स्थिति में अविध विस्तार नहीं दिया जाएगा.
- बैंक से त्यागपत्र देनेवाले स्टाफ सदस्य इस योजनांतर्गत सदस्यता हेतु पात्र नहीं है.
- े योजनांतर्गत सदस्यता प्राप्त करने हेतु फीस का भुगतान "यूनियन बैंक सेवानिवृत्त कर्मचारी चिकित्सा सहायता योजना " अर्थात् यूबीआइरेमस के नाम, सेवा शाखा, मुंबई पर आहरित मांग इाफ्टा पे आईर द्वारा किया जाना चाहिए. चेक स्वीकार नहीं किये जाएंगे क्योंकि कई मामलों में अपर्याप्त निधि के कारण चेक वापस किये जा रहे हैं.



कार्मिक विभाग, कार्मिक प्रशासन प्रभाग, के.का. DEPT. OF PERSONNEL, PERSONNEL ADMINISTRATION DIVISION C.O.
239 विधान भवन मार्ग, यूनियन बैंक भवन ,मुंबई - 400 021
239, Vidhan Bhavan Marg, Union Bank Bhavan, Mumbai - 400 021

स्टाफ परिपत्र क्र.5601

दिनांक :- 30.07.2009

प्रति : सभी शाखाएं कार्यालय

## विषय : सेवानिवृत्त स्टाफ - यूबीआइरेमस योजना में सदस्यता प्राप्त करने हेतु समय-अविध

स्टाफ कल्याण समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 1 अगस्त,2009 से योजनांतर्गत सदस्यता प्राप्त करने हेतु दिये जानेवाले विकल्प की समयाविध में निम्नानुसार संशोधन किया जाए:-

- दिनांक 1.08.2009 को अथवा उसके बाद अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त होनेवाले स्टाफ सदस्यों को सेवानिवृत्ति की तारीख से छः माह के भीतर इस विकल्प को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उन्हें योजना में शामिल नहीं किया जाएगा.
- पूर्व में सेवानिवृत्त स्टाफ सदस्य अर्थात् जो स्टाफ सदस्य अधिवर्षिता पर दिनांक 31 जुलाई,2009 को अथवा उससे पूर्व सेवानिवृत्त हुए हैं उन्हें अनिवार्य रूप से दिनांक 31 अक्तूबर,2009 से पहले सदस्यता प्राप्त करनी होगी. शाखाओं /कार्यालयों को उनके स्तर पर प्राप्त आवेदनों को तत्काल हमारे पास भेजना होगा . किसी भी स्थिति में पुरानी तारीख के आवेदन स्वीकार नहीं किये जाएंगे. शाखाओं/कार्यालयों को यह भी सूचित किया जाता है कि सेवानिवृत्त स्टाफ सदस्यों के उपयोग हेतु आवेदन फार्म की प्रतियां सुलभ रखनी चाहिए. ( स्टाफ कल्याण पुस्तिका में परिशिष्ट VII के रूप में उपलब्ध है)
- जो स्टाफ सदस्य अधिकारी सेवा विनियम ,1979 / यूनियन बैंक ऑफ इंडिया स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना 2001 के अधीन सेवानिवृत्त हुए हैं उन्हें 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद छः माह के भीतर आवेदन करना होगा . अन्यथा उन्हें योजना में शामिल नहीं किया जाएगा . किसी भी स्थिति में अविध विस्तार नहीं दिया जाएगा.
- 🕨 बैंक से त्यागपत्र देनेवाले स्टाफ सदस्य इस योजनांतर्गत सदस्यता हेतु पात्र नहीं है.
- े योजनांतर्गत सदस्यता प्राप्त करने हेतु फीस का भुगतान "यूनियन बैंक सेवानिवृत्त कर्मचारी चिकित्सा सहायता योजना " अर्थात् यूबीआइरेमस के नाम, सेवा शाखा, मुंबई पर आहरित मांग इपटा पे आईर द्वारा किया जाना चाहिए. चेक स्वीकार नहीं किये जाएंगे क्योंकि कई मामलों में अपर्याप्त निधि के कारण चेक वापस किये जा रहे हैं.

- यदि पित अथवा पत्नी सेवारत है अथवा पेंशन प्राप्त कर रहे हैं उन मामलों में आवेदन में उपलब्ध विशिष्ट स्थान में आवश्यक उल्लेख करना अनिवार्य है.
- > शाखाओं / कार्यालयों को योजना संबंधी **उचित रिकार्ड रखना होगा**. साथ ही उन्हें इस परिपत्र को नोटीस बोर्ड पर सूचनार्थ प्रदर्शित करना होगा तथा इस परिपत्र की विषयवस्तु से सेवानिवृत्त स्टाफ सदस्यों को उनके असोसिएशन / कार्यालय अथवा किसी अन्य माध्यम से अवगत कराना होगा.

हमारे सहकर्मियों का स्वस्थ सेवानिवृत्त जीवन सुनिश्चित करने के हमारे वास्तविक प्रयासों में सभी संबंधितों के सहयोग का अनुरोध है.

५ कार किया प्रमुख्य महा प्रबंधक (कार्मिक)